

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(100)एमई/ग्रुप-1/1993

जयपुर, दिनांक

1 JUL 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, फिजियोलोजी के पद पर पे-मेट्रिक्स में लेवल 16 (67300-195000) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनको वेतन भत्ते देय होंगे :-

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. यामिनी सिंह पुत्री श्री चरन दास, 59, गंगा विहार कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर (राज.) -302015	02	01.06.1973	अजा. महिला	मेडिकल कॉलेज अजमेर
2.	डॉ० ममता मीणा पत्नी श्री छुट्टन लाल मीणा, मकान नं. 86, मीणा मौहल्ला, ग्राम-पोस्ट टुण्डिला, तहसील-बामनवास जिला- सवाईमाधोपुर (राज.)-322211	03	24.04.1981	अजजा. महिला	मेडिकल कॉलेज कोटा

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/ 2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह आदेश SBCWP No. 2330/2017 Archana Ruhela Versus State of Rajasthan and Ors. में पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 की अनुपालना में जारी किये जाते हैं।


इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(14)भर्ती/गोपनीय/2014-15/91दिनांक 16.05.2017, एवं एफ. 7(14)भर्ती/गोपनीय/2014-15/366 दिनांक 25.03.2019के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(शिव शंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव